

झारखंड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
उच्च शिक्षा निदेशालय
तृतीय तल, योजना भवन, नेपाल हाउस, डोरंडा, राँची 834002-

प्रेषक,

सुधीर बाड़ा,
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

कुलसचिव,
विनोवा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग।

राँची, दिनांक

विषय :- माँ विन्ध्यावासिनी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, करमाटॉड, पदमा, हजारीबाग को एम0एड0 पाठ्यक्रम में अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग :- आपका पत्रांक-2014 दिनांक-07.08.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि राज्य सरकार के द्वारा अद्यतन Statute में वर्णित प्रावधान के आलोक में विनोवा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग अन्तर्गत अस्थायी संबद्धता प्राप्त महाविद्यालय को एम0एड0 पाठ्यक्रम हेतु शैक्षणिक सत्र-2024-26 एवं 2025-27 के लिए कंडिका-6 (i) में अंकित शर्तों के अधीन निम्नवत रूप से अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण प्रदान किया जाता है :-

क्र0	संकाय स्तर	विषय	सत्र	अभियुक्ति
1.	माँ विन्ध्यावासिनी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, करमाटॉड, पदमा, हजारीबाग	M.Ed	2024-26 एवं 2025-27	अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण

02. शर्त:-

- (i) विश्वविद्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन में दिए गए सुझाव एवं शर्तों का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा समय सीमा के अंदर किया जाएगा।
- (ii) महाविद्यालय क्षेत्रीय समिति राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली द्वारा लगाए गए शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
- (iii) महाविद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिनियम में वर्णित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
- (iv) जिन महाविद्यालयों को NAAC द्वारा Accreditation प्राप्त नहीं है, उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा संबंधन दीर्घीकरण की अधिसूचना जारी होने के 06 महीने के अंदर NAAC Portal पर IIQA submit करते हुए इसकी सूचना विश्वविद्यालय के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

- (v) विभाग एवं विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय का कभी भी औचक निरीक्षण किया जा सकेगा एवं किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने या एन0सी0टी0ई0/राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुरूप व्यवस्था नहीं पाये जाने पर संबद्धता समाप्त करने की नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन

ह0/-

(सुधीर बाड़ा)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

जापांक - DHEsec2/संबंधन-27/2020/HTEB - 1865

रांची, दिनांक- 06/10/2025

प्रतिलिपि:- माँ विन्ध्यावासिनी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, करमाटाँड, पदमा, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ans
26.9.25

(सुधीर बाड़ा)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

**पत्रांक-DHEsec2 /संबंधन-27 /2020 HTESD 988/
झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
(उच्च शिक्षा निदेशालय)
तृतीय तल्ला, योजना भवन, नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची-834002.**

प्रेषक,

गरिमा सिंह,
निदेशक, उच्च शिक्षा,

सेवा में,

कुलसचिव,
राँची विश्वविद्यालय, राँची
विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग,
कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा,
सिद्धो-कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका,
बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद,
नीलाम्बर-पिताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू।

राँची, दिनांक 04.05.2023.

विषय:- बी0एड0 महाविद्यालयों को बी0एड0/एम0एड0 पाठ्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न शैक्षणिक सत्रों के लिए अस्थायी संबंधन दीर्घाकरण प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के छह विश्वविद्यालयों से बी0एड0/एम0एड0 पाठ्यक्रम के अंतर्गत अस्थायी संबंधन दीर्घाकरण हेतु विभिन्न शैक्षणिक सत्रों के लिए प्राप्त प्रस्तावों के समीक्षापरांत समिति द्वारा अद्यतन Statute के प्रावधान के आलोक में की गयी अनुशंसा के आधार पर कंडिका-2 में अंकित शर्तों के अधीन अस्थायी संबंधन दीर्घाकरण के प्रस्ताव पर निम्नांकित विवरणी के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग

क्र0 सं0	महाविद्यालय का नाम	सत्र	विषय	समिति की अनुशंसा
1.	जी0डी0 बगोड़िया टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, गिरिडीह।	2023-25, 2024-26, 2025-27	बी0एड0	स्वीकृत
2.	रमेश प्रसाद यादव, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, कोडरमा।	2023-25, 2024-26, 2025-27	बी0एड0	स्वीकृत
3.	सुभाष, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, कोलडीहा, गिरिडीह।	2023-25, 2024-26, 2025-27	बी0एड0	स्वीकृत
4.	श्री रामकृष्ण शारदा आश्रम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, रविन्द्र पथ हजारीबाग।	2023-25, 2024-26, 2025-27	बी0एड0	स्वीकृत
5.	ग्रीट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, राजधनवार, गिरिडीह।	2023-25, 2024-26, 2025-27	बी0एड0	स्वीकृत
6.	के0एन0 बक्सी, कॉलेज ऑफ एजुकेशन, गिरिडीह।	2023-25, 2024-26, 2025-27	बी0एड0	स्वीकृत
7.	देव कॉलेज, ऑफ एजुकेशन मुकुन्दगंज, हजारीबाग।	2023-25, 2024-26, 2025-27	बी0एड0	स्वीकृत
8.	लाला प्रीतम, बी0एड0 कॉलेज, जितनी मोड, चतरा।	2023-25, 2024-26, 2025-27	बी0एड0	स्वीकृत
9.	ग्रिजली, कॉलेज ऑफ एजुकेशन, गुमो, झुमरीतिलैया, कोडरमा।	2023-25, 2024-26, 2025-27	बी0एड0	स्वीकृत
10.	स्वामी घर्मबंधु, कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मुकुन्दगंज, हजारीबाग।	2023-25, 2024-26, 2025-27	बी0एड0	स्वीकृत
11.	डॉ0 एस0 राधाकृष्णन, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, सुकरीगढ़ा, लारी, रामगढ़।	2023-25, 2024-26, 2025-27	बी0एड0	स्वीकृत
12.	बी0एन0 साहा डी0ए0भी0 टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, सिरसिया, गिरिडीह।	2023-25, 2024-26, 2025-27	बी0एड0	स्वीकृत
13.	माँ विध्यवासिनी, कॉलेज ऑफ एजुकेशन, करमाटॉड, पदमा, हजारीबाग।	2023-25, 2024-26, 2025-27	बी0एड0	स्वीकृत
14.	दौलत महतो, मेमोरियल टीचर्स ट्रेनिंग, कॉलेज, विष्णुगढ़, हजारीबाग।	2023-25, 2024-26, 2025-27	बी0एड0	स्वीकृत
15.	एस0बी0एम0 शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, बभनवै, हजारीबाग।	2023-25, 2024-26, 2025-27	बी0एड0	स्वीकृत
16.	गौतम बुद्ध टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, हजारीबाग।	2023-25, 2024-26, 2025-27	बी0एड0	स्वीकृत
17.	रामकृष्ण विवेकानन्द, कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बगोदर, गिरिडीह।	2023-25, 2024-26, 2025-27	बी0एड0	स्वीकृत

18.	महर्षि परमहंस, कॉलेज ऑफ एजुकेशन, हुहुवा, रामगढ़ ।	2023-25, 2024-26, 2025-27	बी0एड0	स्वीकृत
19.	कैम्ब्रिज टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, लाराबाद, कोडरमा ।	2023-25, 2024-26, 2025-27	बी0एड0	स्वीकृत
20.	स्कॉलर, बी0एड0 कॉलेज, गिरिडीह ।	2023-25, 2024-26, 2025-27	बी0एड0	स्वीकृत
21.	झारखण्ड टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, झुमरीतिलैया, कोडरमा ।	2023-25, 2024-26, 2025-27	बी0एड0	स्वीकृत
22.	माँ विध्यवासिनी, कॉलेज ऑफ एजुकेशन, करमाटॉड, पदमा, हजारीबाग ।	2023-25	एम0एड0	स्वीकृत
23.	रामशोभा, कॉलेज ऑफ एजुकेशन, चुटूपालू, रामगढ़ ।	2023-25, 2024-26, 2025-27	बी0एड0	स्वीकृत

2. शर्तः-

- विश्वविद्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन में दिए गए सुझाव एवं शर्तों का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा समय सीमा के अंदर किया जाएगा।
- महाविद्यालय पूर्व क्षेत्रीय समिति राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली द्वारा लगाए गए शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
- महाविद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिनियम में वर्णित प्रावधान का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
- जिन महाविद्यालयों को NAAC द्वारा Accreditation प्राप्त नहीं है, उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा संबंधन दीर्घाकरण की अधिसूचना जारी होने के 06 महीने के अंदर NAAC Portal पर IIQA submit करते हुए इसकी सूचना विश्वविद्यालय के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। उक्त का अनुपालन नहीं होने की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे महाविद्यालय के संबंधन रद्द करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।
- विभाग एवं विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय का कमी भी औचक निरीक्षण किया जा सकेगा एवं किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने या एन0सी0टी0ई0/राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप व्यवस्था नहीं पाये जाने पर संबंधता समाप्त करने की नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
- विश्वविद्यालय द्वारा जिन प्रस्तावों को Syndicate के अनुमोदन की प्रत्याशा में प्रेषित किया गया है, उनसे संबंधित अधिसूचना के पूर्व Syndicate का अनुमोदन अनिवार्य होगा।

विश्वासभाजन
ह0/-
(गरिमा सिंह)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग

ज्ञापांक:-वि0भा0वि0/स्था0/.....525...../2024
प्रतिलिपि:-

दिनांक 21.02./2024

- संबंधित महाविद्यालय सचिव/प्राचार्य के सूचनार्थ एवं पत्र में वर्णित शर्तों का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जाय।
- निदेशक, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा निदेशालय) झारखण्ड सरकार, राँची।
- परीक्षा नियंत्रक, वि0भा0वि0, हजारीबाग।
- सभी पदाधिकारी, वि0भा0वि0, हजारीबाग।
- स्थापना शाखा, वि0भा0वि0, हजारीबाग।
- कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायकों को कुलपति/कुलसचिव के सूचनार्थ।

N.A.P.
21/02/24
कुलसचिव

Chandra
21/2/2024

प्रेषक,

निदेशक, उच्च शिक्षा,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

राँची विश्वविद्यालय, राँची,
विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग,
सिदो-कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका,
नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर, पलामू,
कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा,
बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद।

राँची, दिनांक 16.09.2020

विषय:- राज्य के छः विश्वविद्यालयों के बी0एड0 महाविद्यालयों को शैक्षणिक सत्र 2021-23 एवं 2022-24 के लिए बी0एड0/एम0एड0/बी0पी0एड0 पाठ्यक्रम हेतु संबंधन दीर्घाकरण प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा अद्यतन स्टैच्यूट में वर्णित प्रावधान के आलोक में राज्य के छः विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत संचालित अस्थायी सम्बद्धता प्राप्त बी0एड0 महाविद्यालयों को बी0एड0/एम0एड0/बी0पी0एड0 पाठ्यक्रम हेतु शैक्षणिक सत्र 2021-23 एवं 2022-24 के लिए कंडिका-2 में अंकित शर्तों के अधीन निम्नवत रूप से अस्थायी संबंधन दीर्घाकरण प्रदान किया जाता है।

विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग

क्र० सं०	बी0एड0 महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान का नाम एवं पता	समिति का निर्णय
1.	डॉ0 एस0 राधाकृष्णन, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज सुकरीगढ़ा, लारी, रामगढ़।	स्वीकृत
2.	महर्षी परमहंस, कॉलेज ऑफ एजुकेशन, हुहुवा, रामगढ़।	स्वीकृत
3.	रामकृष्ण विवेकानन्द, कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बगोदर, गिरिडीह	स्वीकृत
4.	कैम्ब्रिज टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज कोडरमा।	स्वीकृत
5.	ग्रीट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, राजधनवार, गिरिडीह।	स्वीकृत
6.	झारखण्ड टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, झुमरीतिलैया, कोडरमा	स्वीकृत
7.	सुभाष, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, कोलडीहा, गिरिडीह	स्वीकृत
8.	एस0बी0एम0 टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, हजारीबाग	स्वीकृत
9.	श्री रामकृष्ण शारदा आश्रम शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, रविन्द्रपथ हजारीबाग	स्वीकृत
10.	ग्रिजली, कॉलेज ऑफ एजुकेशन, गुमो, झुमरीतिलैया, कोडरमा	स्वीकृत
11.	स्कॉलर, बी0एड0 कॉलेज, बनहट्टी, बेंगाबाद, गिरिडीह	स्वीकृत
12.	रामशोभा, कॉलेज ऑफ एजुकेशन, चुटूपालू, रामगढ़,	स्वीकृत
13.	बी0एन0 साहा डी0ए0भी0 टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, सिरसिया, गिरिडीह।	स्वीकृत
14.	देव कॉलेज, ऑफ एजुकेशन मुकुन्दगंज, हजारीबाग।	स्वीकृत
15.	स्वामी धर्मबंधु, कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मुकुन्दगंज, हजारीबाग	स्वीकृत
16.	रमेश प्रसाद यादव, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, कोडरमा	स्वीकृत
17.	लाला प्रीतम, बी0एड0 कॉलेज, जितनी मोड, चतरा	स्वीकृत
18.	के0एन0 बक्सी, कॉलेज ऑफ एजुकेशन, करमाटाँड, बेंगाबाद, गिरिडीह	स्वीकृत

P. H. Ram
08/02/21

08/02/21

19.	दौलत महतो, मेमोरियल टीचर्स ट्रेनिंग, कॉलेज, बनासो, विष्णुगढ़, हजारीबाग।	स्वीकृत
20.	माँ विंध्यवासिनी, कॉलेज ऑफ एजुकेशन, पदमा, हजारीबाग	स्वीकृत
21.	जी०डी० बगड़ीया टीचर्स ट्रेनिंग, कॉलेज, बोरो, गिरिडीह	स्वीकृत
22.	गौतम बुद्धा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, हजारीबाग	स्वीकृत
23.	माँ विंध्यवासिनी कॉलेज ऑफ एजुकेशन (एम०एड०), पदमा, हजारीबाग	स्वीकृत
24.	नरसिंह कॉलेज ऑफ एजुकेशन, खपरियावाँ, हजारीबाग।	स्वीकृत

2. शर्तों:-

- I. विभाग द्वारा महाविद्यालयों का कभी भी औचक निरीक्षण किया जा सकेगा एवं किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने या एन०सी०टी०ई०/राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप व्यवस्था नहीं पाये जाने पर संबद्धता समाप्त करने की नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।
- II. महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन में दिए गए सुझाव एवं शर्तों का अनुपालन समय सीमा के अंदर किया जायेगा।
- III. महाविद्यालय पूर्व क्षेत्रीय समिति राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, भुवनेश्वर द्वारा लगाये- गये शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
- IV. महाविद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिनियम में वर्णित प्रावधान का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
- V. महाविद्यालय को दो वर्ष के अन्दर NAAC Accreditation कराना आवश्यक होगा।

विश्वासभाजन
ह०/-
(जितेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक, उच्च शिक्षा।


विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग

ज्ञापांक:-वि०भा०वि०/स्था०/...../2021

दिनांक ०८.०२./2021

प्रतिलिपि :-

1. संबंधित महाविद्यालय के सचिव/प्राचार्य के सूचनार्थ एवं पत्र में वर्णित शर्तों का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जाय।
2. निदेशक, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार राँची।
3. परीक्षा नियंत्रक, वि०भा०वि०, हजारीबाग।
4. सभी पदाधिकारी, वि०भा०वि०, हजारीबाग।
5. प्रभारी स्थापना शाखा, वि०भा०वि०, हजारीबाग।
6. निजी सहायक कुलपति/प्रतिकुलपति/कुलसचिव के सूचनार्थ।


08.02.21
कुलसचिव

P. H. Karm
08/02/21



VINOBA BHAVE UNIVERSITY
HAZARIBAG - 825 301

Post Box No. - 31

Phone Nos. V.C- 264279 (O), 262342 (R), P.V.C- 264724 (O), 262301 (R), Registrar-270982 (O), 267272 (R)
C.E -263330 (O), 262387 (R), F.O: 270983 (O)
FAX-06546-267878, 270982 (O), 264066 (R)

Ref. No. VBU./.....

Date.....

सेवा में,
निदेशक,
उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
योजना भवन, नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची।

विषय:- माँ विन्ध्यवासिनी, कॉलेज ऑफ एजुकेशन, पदमा, हजारीबाग में एम0एड0 सत्र 2020-22 के लिए संबंधन दीर्घाकरण प्रदान करने के संदर्भ में।

महाशय,

निदेशानुसार, उपरोक्त विषय के आलोक में दिनांक 18.03.2020 को संपन्न नवशिक्षण एवं संबंधन समिति की बैठक में क्रम संख्या-28 पर माँ विन्ध्यवासिनी, कॉलेज ऑफ एजुकेशन, पदमा, हजारीबाग के निरीक्षण प्रतिवेदन पर विचार किया गया एवं निरीक्षण प्रतिवेदन में दिये गये सुझावों/शर्तों को पुरा करने की शर्त के साथ शैक्षणिक सत्र 2020-22 के लिए संबंधन दीर्घाकरण की अनुशंसा की गयी जिसे दिनांक 19.03.2020 को संपन्न अभिषद् की बैठक के मद संख्या-1074/161/01 में नवशिक्षण एवं संबंधन समिति की बैठक में लिए गये निर्णय को निरीक्षण प्रतिवेदन में दिये गये शर्तों को एक वर्ष के अंदर पूर्ण करने की समय सीमा के साथ स्वीकृति दी गयी है। (छायाप्रति संलग्न)

अतः अनुरोध है कि उक्त महाविद्यालय को सत्र 2020-22 के संबंधन दीर्घाकरण की स्वीकृति का अनुमोदन प्रदान करने की कृपा करें।

अनुलग्नक:-

1. नवशिक्षण एवं संबंधन समिति की बैठक की छायाप्रति।
2. अभिषद् की निर्णय की छायाप्रति।
3. निरीक्षण प्रतिवेदन की छायाप्रति।
4. महाविद्यालय से प्राप्त दस्तावेज की मूलप्रति।

कुलपति के आदेशानुसार

ह0/-


कुलसचिव

ज्ञापांक:-वि0भा0वि0/स्था0/.....736...../2020

दिनांक 20.03./2020

प्रतिलिपि:-

प्राचार्य/सचिव संबंधित महाविद्यालय को सूचनार्थ एवं निरीक्षण प्रतिवेदन में दिये गये सुझावों/शर्तों को एक वर्ष के अंदर आवश्यक रूप से पूर्ण कर लिया जाय।


20.03.2020
कुलसचिव
P.N. Ram
20/03/20

114

पत्रांक: 5/स.1-42/2019 947
झारखण्ड सरकार
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
(उच्च, शिक्षा निदेशालय)
योजना भवन, नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची-834002.

प्रेषक,
दिनेश प्रसाद, (भा0प्र0से0)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,
कुलसचिव,
विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग।

राँची, दिनांक 10.05.2019

विषय:- माँ विंध्यावासिनी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, करमाटॉड, पदमा गेट, हजारीबाग में एम0एड0 पाठ्यक्रम हेतु शैक्षणिक सत्र 2019-21 के लिए अस्थायी संबंधन दीर्घाकरण प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक-VBU/Esstr/955/19 दिनांक-16.03.2019.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि माँ विंध्यावासिनी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, करमाटॉड, पदमा गेट, हजारीबाग का एम0एड0 पाठ्यक्रम हेतु शैक्षणिक सत्र 2019-21 के लिए संबंधन दीर्घाकरण दिये जाने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। उक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा अद्यतन स्टैच्यूट के प्रावधान के आलोक में कडिका-2 में अंकित शर्तों के अधीन संबंधन दीर्घाकरण के प्रस्ताव पर निम्नांकित विधरणी के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	कॉलेज का नाम एवं पता	पाठ्यक्रम	सत्र/सीट	NCTE Recognition संबंधी पत्रांक/दिनांक
1.	माँ विंध्यावासिनी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, करमाटॉड, पदमा गेट, हजारीबाग	एम0एड0 (संबंधन दीर्घाकरण)	2019-21 के लिए (50 सीट)	पत्रांक-52918 दिनांक 02.05.2017

2. शर्त:-

- महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन में दिए गए सुझाव एवं शर्तों का अनुपालन समय सीमा के अन्दर किया जायेगा।
- महाविद्यालय पूर्व क्षेत्रीय समिति राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् भुवनेश्वर द्वारा लगाये गये शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
- महाविद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिनियम में वर्णित प्रावधान का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

विश्वासभाजन
ह0/-
(दिनेश प्रसाद)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग

ज्ञापांक: वि0भा0वि0/स्था0/ 1480 /19
प्रतिलिपि :-

दिनांक 22.05.19

- सचिव/प्राचार्य, माँ विंध्यावासिनी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, करमाटॉड, पदमा गेट, हजारीबाग को उपरोक्त पत्रों में दिये गये शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- निदेशक, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार राँची।
- परीक्षा नियंत्रक, वि0भा0वि0, हजारीबाग।
- सभी पदाधिकारी, वि0भा0वि0, हजारीबाग।
- प्रभारी स्थापना शाखा, वि0भा0वि0, हजारीबाग।
- निजी सहायक कुलपति/प्रतिकुलपति/कुलसचिव को सूचनार्थ।

कुलसचिव

पत्रांक: 5/स.1-16/2012 914/
झारखण्ड सरकार
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
(उच्च, शिक्षा निदेशालय)
योजना भवन, नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची-834002.

प्रेषक,

अबु इमरान, (भा0प्र0से0)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

कुलसचिव,
विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग।

राँची, दिनांक 10.05.2018.

विषय:- माँ विद्यावासिनी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, करमाटॉड, पदमा, हजारीबाग को एम0एड0 पाठ्यक्रम हेतु शैक्षणिक सत्र 2018-20 के लिए संबंधन दीर्घाकरण प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके विश्वविद्यालय क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित माँ विद्यावासिनी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, करमाटॉड, पदमा, हजारीबाग को एम0एड0 पाठ्यक्रम हेतु शैक्षणिक सत्र 2018-20 के लिए संबंधन दीर्घाकरण दिए जाने का प्रस्ताव प्राप्त है। उक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा इस पत्र की कंडिका-2 में अंकित शर्तों के साथ अनुमोदन देने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र0 सं0	कॉलेज का नाम एवं पता	पाठ्यक्रम	सत्र	NCTE Recognition संबंधी पत्रांक/दिनांक
1.	माँ विद्यावासिनी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, करमाटॉड, पदमा, हजारीबाग।	एम0एड0 (संबंधन दीर्घाकरण)	2018-20	पत्रांक-52918 दिनांक 02.05.2017

2. विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि-

- (क) माँ वैष्णो देवी महिला महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य द्वारा रायर याचिका संख्या-WP(C) No. 276/2012 में पारित न्यायादेश की कंडिका-71 में अंकित निम्न निदेशों का अनुपालन संबंधित विश्वविद्यालय सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करायेंगे।
- (I) छात्रों के नामांकन की पात्रता,
(II) परीक्षा का संचालन,
(III) विहित कोर्स के पूर्णता की प्रक्रिया,
(IV) एन0सी0टी0ई0 द्वारा दिए गए शर्तों का अनुपालन।
(V) राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन।
- (ख) निरीक्षण प्रतिवेदन में दर्शाये गये कमियों/त्रुटियों की पूर्णता एवं दिए गए सुझाव का अनुपालन।
(ग) AISHE portal पर data का upload.
(घ) IQAC का गठन।

विश्वासभाजन
ह0/-
(अबु इमरान)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग

ज्ञापांक: वि0भा0वि0/स्था0/ 3669 /18

दिनांक 13.12.18

प्रतिलिपि :-

1. सचिव/प्राचार्य, माँ विद्यावासिनी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, करमाटॉड, पदमा, हजारीबाग के उपरोक्त पत्र के कंडिका-2 में अंकित शर्तों का अनुपालन समय सीमा के अंदर किया जाय।
2. सरकार के उप सचिव, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार राँची।
3. कुलसचिव, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद।
4. परीक्षा नियंत्रक, वि0भा0वि0, हजारीबाग।
5. सभी पदाधिकारी, वि0भा0वि0, हजारीबाग।
6. प्रभारी स्थापना शाखा, वि0भा0वि0, हजारीबाग।
7. निजी सहायक कुलपति/प्रतिकुलपति/कुलसचिव को सूचनार्थ।

कुलसचिव

p.w. Room
13/12/18

पत्रांक : 5/वि. 1-12/2017-1549

झारखण्ड सरकार

उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

योजना भवन, नेपाल हाउस परिसर, डोरण्डा, राँची-834002

प्रेषक,

अजय कुमार चौधरी,
उप निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

कुलसचिव,
विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग।

राँची, दिनांक : 30.05.2017

विषय - विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग अन्तर्गत माँ विद्यावासिनी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, करमाटांड, हजारीबाग को एम0एड0 पाठ्यक्रम के शैक्षणिक सत्र 2017-19 के लिए नवसंबंधन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि माँ विद्यावासिनी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, करमाटांड, हजारीबाग को एम0एड0 पाठ्यक्रम के शैक्षणिक सत्र 2017-19 के लिए नवसंबंधन प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव पर समीक्षोपरांत राज्य सरकार द्वारा कडिका-2 में अंकित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की है:-

क्र0 सं0	कॉलेज का नाम एवं पता	पाठ्यक्रम	सत्र	Approved Unit	NCTE Recognition संबंधी पत्रांक/दिनांक
1.	माँ विद्यावासिनी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, करमाटांड, हजारीबाग	एम0एड0	2017-19 के लिए नवसंबंधन	01 (50 Students)	पत्रांक-52918 दिनांक 02.05.2017

2 शर्तें :-

- (क) माँ वैष्णो देवी महिला महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य द्वारा दायर याचिका संख्या- WP(C) No. 276/2012 में पारित न्यायादेश की कडिका-71 में अंकित निम्न निर्देशों का अनुपालन हो-
- (i) छात्रों के नामांकन की पात्रता,
(ii) परीक्षा का संचालन,
(iii) विहित कोर्स के पूर्णता की प्रक्रिया,
(iv) एन0सी0टी0ई0 द्वारा दिए गए शर्तों का अनुपालन
- (ख) निरीक्षण प्रतिवेदन में दर्शाए गये कमियों/त्रुटियों की पूर्णता एवं दिए गए सुझाव का अनुपालन।
(ग) AISHE Portal पर data का upload.
(घ) IQAC का गठन

विश्वासभाजन,

ह0/-

(अजय कुमार चौधरी)
उप निदेशक, उच्च शिक्षा


विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग

ज्ञापक : विभावि/स्था/ 2255 /2017

दिनांक : 30.05.2017

प्रतिलिपि -

- संबंधित महाविद्यालय के सचिव/प्राचार्य के सूचनार्थ एवं उपरोक्त पत्र में वर्णित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन 15 दिनों के अन्दर शपथ-पत्र के साथ आवश्यक रूप से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाय ताकि अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राँची को अवगत कराया जा सके।
- सरकार के उप निदेशक, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, डोरण्डा, राँची।
- परीक्षा नियंत्रक, वि0भा0वि0, हजारीबाग।
- सभी पदाधिकारी, वि0भा0वि0, हजारीबाग।
- प्रभारी स्थापना शाखा, वि0भा0वि0, हजारीबाग।
- निजी सहायक कुलपति/प्रतिकुलपति, कुलसचिव को सूचनार्थ।


30/5/17
कुलसचिव

P.N. Karm
30/05/17